प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-04.03.2025

थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

➡ थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा बोलेरा वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 05 राशि गोवंश बरामद व 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चंदौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा बोलेरा वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 05 राशि गोवंश बरामद व 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 04.03.2025 को 30नि0 ओमप्रकाश यादव व उ.नि. धर्मदेव प्रसाद मय हमराहियान के चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन संख्या UP 66 F 3761 में गोवंशो को वध हेतु बिहार के राश्ते पंश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है प्राप्त सूचना पर 30नि0 ओमप्रकाश यादव व उ.नि. धर्मदेव प्रसाद मय हमराहियान द्वारा एनएच 02 हाईवे ग्राम नौबतपुर, नौबतपुर पिकेट से 100 मीटर पहले चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन संख्या UP 66 F 3761 से कुल 05 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए मौके से 01 शातिर गौतस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 33/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गोवंशों को मिर्जापुर के जंगलों से इकट्ठा कर उनको लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जहां गोवंशों को ऊंचे दामों पर बेचकर जो मुनाफा होता है, उससे अपना जीवन यापन करते हे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुनील राम पुत्र सियाराम निवासी ग्राम तिवई थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ (बिहार) उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक बोलेरो वाहन संख्या UP 66 F 3761
- 2.01 एन्ड्राइड मोबाइल व एक की पैड मोबाइल व 300 रुपया नकद
- 3.05 राशि गोवंश (04 राशि गाय व 01 राशि साड़)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.30नि0 ओमप्रकाश यादव चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली।
- 3.30नि0 धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली
- 4.हे0का0 शिवशंकर बिन्द थाना सैयदराजा चन्दौली।
- 5.का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो मैजिक वाहन में क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे कुल 04 राशि गोवंश बरामदगी के साथ 04 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 04.03.2025 को सुखसम्पत्ति पेट्रोल पम्प बहद ग्राम बिलारीडीह महेवा थाना अलीनगर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर दोनो वाहनों के चालक व खलासी उतरकर भागने का प्रयास किया तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनो वाहनों के चालकों एंव खलासी को पकड़ लिया गया।

1.वाहन संख्या UP 65 PT 4434 के चालक की पहचान राकेश यादव उर्फ विजय लाल यादव पुत्र गोविन्द यादव निवासी तारहठी थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीव 20 वर्ष तथा चालक सीट के बगल मे बैठा व्यक्ति की पहचान रोहित कुमार दुबे पुत्र सूर्यमणी दूबे निवासी तारहठी थाना मुगराबादशाहपुर उम्र 28 वर्ष के रुप में हुई।

2.वाहन संख्या UP 72 AT 1810 के चालक की पहचान दीप चन्द्र यादव पुत्र धरमपाल यादव निवासी तरहठी थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष तथा सीट के बगल बैठे व्यक्ति की पहचान राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 दूधनाथ निवासी देवैनी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई। दोनो वाहनों से क्रमशः 02-02 राशि गोवंश कुल 04 राशि गोवंश बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 70/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.राकेश यादव उर्फ विजय लाल यादव पुत्र गोविन्द यादव निवासी तारहठी थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीव 20 वर्ष।
- 2.रोहित कुमार दुबे पुत्र सूर्यमणी दूबे निवासी तारहठी थाना मुगराबादशाहपुर उम्र 28 वर्ष ।
- 3.दीप चन्द्र यादव पुत्र धरमपाल यादव निवासी तरहठी थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष।
- 4.राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 दूधनाथ निवासी देवैनी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र 27 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 70/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

- 1.वाहन संख्या UP 72 AT 1810 टाटा मैजिक
- 2.वाहन संख्या UP 65 PT 4434 टाटा मैजिक
- 3.कुल 04 राशि गोवंश बरामद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.उ.नि. विरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.30नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 4.30नि0 गिरीश चन्द्र राय चौकी प्रभारी जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 5.हे0का0 रौशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 6.हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 7.का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली